प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.05.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान थाना लोनी क्षेत्र मे जान से मारने की नीयत से गोली मारने की घटना कारित करने वाला अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देसी पिस्टल .32 बोर , एक खोखा कारतूस मय तीन जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस एवं चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद

आज दिनांक 30.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर वाछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना लोनी पुलिस द्वारा राशिद अली गेट से निठौरा अन्डर पास को जाने वाले मार्ग पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति जो राशिद अली गेट की तरफ से निठौरा अंडर पास की तरफ तेजी से बाईक चलाते जा रहा था जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया परन्तु मोटर साइकिल सवार व्यक्ति नही रुका तथा मोटर साइकिल को तेजी से खाली मैदान की तरफ भगाया हडबडाहट मे मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी। और पुलिस को अपनी तरफ आता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग मे उक्त अभियुक्त के पैर मे गोली लगने से घायल हो गया। मौके पर पूछताछ से घायल व्यक्ति ने अपना नाम तनवीर पुत्र मईनुद्दीन उर्फ मुन्नूद्दीन उम्र करीब 38 वर्ष निवासी बी 424 सुभाष बिहार दिल्ली बताया जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अवैध देसी पिस्टल .32 बोर , एक खोखा कारतूस मय तीन जिन्दा कारतूस .32 बोर , एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस एवं चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद हुई। अभि0 के विरूद्ध दिल्ली व थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद मे करीब तीन दर्जन से अधिक लूट, छिनैती, ब्लात्कार, चोरी वाहन चोरी, अवैध शस्त्र के मुकदमे है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि आज सुबह लगभग 09.30 बजे थाना लोनी क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर रोड पर जूस की दुकान के पास एक लडके से मेरा झगडा हो गया था। मैने गुस्से मे आकर अपनी देसी पिस्टल से उस लडके को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी और मौके से भाग गया था मोटर साइकिल के बारे मे पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैने दिल्ली के गाँधीनगर से चोरी की थी। इस पिस्टल से लोगो को डराकर धमकाकर लूट/ छिनैती की घटना करता हूँ। अभियुक्त को आज थाना लोनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिग के दौरान घटना मे प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल मय कारतूस व एक तंमचा .315 बोर मय कारतूस व दिल्ली से चोरी की मोटरसाइकिल गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण

1-एक चोरी की बाईक (थाना क्षेत्र गाँधीनगर दिल्ली से चुराई हुई)

2- एक देसी पिस्टल .32 बोर व 04 कारतूस- (03जिन्दा / 01खोखा),

3-01 तमंचा 315 बोर व 02 कारतूस- (जिन्दा / खोखा),

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

अभियुक्त तनवीर पुत्र मईनुद्दीन उर्फ मुन्नूद्दीन उम्र करीब 38 वर्ष निवासी बी 424 सुभाष बिहार दिल्ली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभि0 के विरूद्ध दिल्ली व लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद मे करीब 3 दर्जन से अधिक लूट, छिनैती, चोरी, वाहन चोरी, अवैध शस्त्र, व हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध दर्ज है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर , 02 खोखा कारतूस 315 बोर , लूट की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल व 4800 रूपये बरामद ।

दिनांक 31.05.2025 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम व वांछित अभियुक्त तलाश हेतु सुरविन स्कूल के पास गश्त मे मामूर थे मुखबिर खास सूचना मिली कि कुशैडी रोड की तरफ से दो बदमाश अपाचे मोटर साईकिल काले रंग की से नहरपुल निवाडी पटरी की तरफ आ रहे है । प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम कुशैडी रोड निवाडी की तरफ पर पहुँचकर नहरपुल पटरी के पास सघनता से चैकिंग करने लगे । कुछ देर बाद कुशैडी रोड की तरफ से एक मोटरसाईकिल अपाचे काले रंग पर सवार दो व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये जिन्हे रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति मोटरसाईकिल को तेजी से कुशैडी गांव की तरफ ही मोडकर भागने के प्रयास में मोटरसाईकिल से फिसलकर गिर गये तथा अपने आप को घिरता देखकर इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से फायर किये पुलिस द्वारा की गयी जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गये । घायल बदमाशों ने अपने नाम राशिद पुत्र मंजूर निवासी रामपाल सैनी का मकान ईदगाह कॉलोनी फरूखनगर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद हाल पता सरना वाली गली मोहल्ला पठानान थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद व दूसरे ने अपना नाम धनन्जय पुत्र विजय सिंह निवासी एफ-399 सुन्दर नगरी नंदनगरी नई दिल्ली हाल पता बी 85 मास्टर कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद बताया घायल बदमाशों को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर बताया दिनांक 30.05.25 को नहरपुल निवाडी के पास एक परिवार जो अपनी कार मे बैठा था उन व्यक्तियों को तमंचा दिखाकर उनमें एक व्यक्ति जो गले में सोने की चेन पहने था हम दोनो चेन को लूटने का प्रयास किया था उनके द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग आने पर हम दोनो लोग इसी मोटरसाईकिल पर सवार होकर भाग गये थे । दिनांक 17.03.2025 को हम दोनो ने विशाल मेगा मार्ट मोदीनगर दोपहर के समय एक महिला से गले में पडी सोने की चेन को छपट्टा मारकर लूटा था । दिनांक 03.09.2024 को हम दोनो ने सुबह के समय ग्राम कुन्हैडा में एक महिला जो टहल रही थी हम दोनो ने उसके एक कान के कुंडल छीनकर भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नामः-

1.राशिद पुत्र मंजूर निवासी रामपाल सैनी का मकान ईदगाह कॉलोनी फरूखनगर थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद हाल पता सरना वाली गली मोहल्ला पठानान थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

2. नाम धनन्जय पुत्र विजय सिंह निवासी एफ-399 सुन्दर नगरी नंदनगरी नई दिल्ली हाल पता बी 85 मास्टर कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर,
2. लूट की घटना में प्रयुक्त काले रंग की अपाचे मोटर साइकिल व 4800 रूपये,

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त राशिद उपरोक्त के विरुद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर व दिल्ली में लगभग 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। व अभियुक्त धनन्जय उपरोक्त के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद व दिल्ली में लगभग 70 मुकदमे पंजीकृत है , अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है,

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस, लूट से सम्बन्धित 13500 रूपये व चोरी की 01 मोटर साइकिल (लूट में प्रयुक्त) बरामद।

आज दिनांक 31.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत थाना क्षेत्र मे चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई की थाना भोजपुर क्षेत्र मे किल्हौडा से हापुड जाने वाले बम्बे के रास्ते पर सुनार से लूट की घटना में सम्मिलित 03 लुटेरे हापुड की तरफ से मोटरसाईकिल से आ रहे है। इस सूचना पर किल्हौडा बिजली घर के पास संघन चैकिंग की गई तो 03 व्यक्ति हापुड की तरफ से मोटरसाईकिल से आते दिखाई दिये जिनकी रोका टोकी की गई तो तीनो व्यक्ति मोटरसाईकिल से बिजली घर के पास खडन्जे पर भागने लगे व मोटरसाईकल डिसबैलेन्स होकर नीचे गिर गई उपरोक्त तीनो व्यक्तियो ने अपने को पुलिस द्वारा घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 03 बदमाशों में से 02 बदमाशो के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गये तथा तीसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशो के नाम 1. नाजिर उर्फ नाजिम उर्फ राजा पुत्र मौहम्मद नासिर अंसारी निवासी कस्बा व थाना उधानी जिला बदायू 2. प्रवेश कुमार गुप्ता पुत्र विरेन्द्र कुमार नि0 पचगई रामबास बादशाहपुर थाना शिकारपुर जिला बु0शहर है। घायल बदमाशो को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अभियुक्तो के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कुछ दिन पूर्व थाना क्षेत्र भोजपुर मे त्यौडी से हापुड जाते समय किल्होडा से हापुड बम्बे वाले मार्ग पर अपने साथी के साथ मिलकर सुनार से लूट की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. नाजिर उर्फ नाजिम उर्फ राजा पुत्र मौहम्मद नासिर अंसारी निवासी कस्बा व थाना उधानी जिला बदायू
2. प्रवेश कुमार गुप्ता पुत्र विरेन्द्र कुमार नि0 पचगई रामबास बादशाहपुर थाना शिकारपुर जिला बु0शहर

बरामदगी का विवरण

02 तमंचे 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस व लूट से सम्बन्धित 13500 रूपये ।
01 अदद मोटरसाईकिल (चोरी की) लूट की घटना मे प्रयुक्त ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व थाना भोजपुर पर एक लूट का मुकदमा दर्ज है व अलीगढ तथा बदायू में दर्जनो मुकदमे पंजीकृत है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

नगर जोन पुलिस द्वारा एंटी चीयर्स अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया ।

दिनांक 30.05.2025 को शाम 07:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी चीयर्स अभियान के तहत शराब ठेकों के आस पास व सड़क के किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों, ठेली-ठपरी व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा 75 स्थानों पर चेकिंग कर 970 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन करने वाले 355 व्यक्तियों के विरुद्व 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान तथा 195 वाहनों के अन्तर्गत एमवी एक्ट चालान कर 01 वाहन को सीज किया गया । इस अभियान के अंतर्गत नगर जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई ।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	**नाम थाना**	**कितने व्यक्तियो के विरुद्व कार्यवाही की गई**	**चालान/सीज किये गये वाहनों की सं0**
1	**कोतवाली नगर**	42	67, (01 सीज)
2	**विजयनगर**	125	65
3	**सिहानी गेट**	35	22
4	**नन्दग्राम**	105	11
5	**कविनगर**	22	15
6	**मधुबन बापूधाम**	26	15
कुल योग		355	195 चालान व 01 सीज

ग्रामीण जोन पुलिस द्वारा एंटी चीयर्स अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया।

दिनांक 30.05.2025 को शाम 07:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक ग्रामीण जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी चीयर्स अभियान के तहत शराब ठेकों के आस पास व सड़क के किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों, ठेली-ठपरी व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा 78 स्थानों पर चेकिंग कर 1418 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन करने वाले 292 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान तथा 93 वाहनों के एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	कितने व्यक्तियो के विरुद्ध कार्यवाही की गई	चालान/सीज किये गये वाहनों की सं0
1	वेव सिटी	16	00
2	क्रॉसिग रिपब्लिक	41	00
3	मसूरी	22	00
4	मुरादनगर	22	00
5	मोदीनगर	46	06
6	भोजपुर	00	02
7	निवाड़ी	04	00
8	लोनी	71	25
9	ट्रोनिका सिटी	41	43
10	अंकुर विहार	08	00
11	लोनी बॉर्डर	21	17
कुल योग		292	93

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा एंटी चीयर्स अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया।

दिनांक 30.05.2025 को शाम 07:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में एंटी चीयर्स अभियान के तहत शराब ठेकों के आस पास व सड़क के किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों, ठेली-ठपरी व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा 47 स्थानों पर चेकिंग कर 1004 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन करने वाले 192 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के

अंतर्गत चालान तथा 145 वाहनों के अन्तर्गत एमवी एक्ट चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	कितने व्यक्तियो के विरुद्व कार्यवाही की गई	चालान/सीज किये गये वाहनों की सं0
1	इन्दिरापुरम	38	12
2	खोडा	31	25
3	कौशाम्बी	38	25
4	साहिबाबाद	31	25
5	लिंक रोड	22	31
6	शालीमार गार्डन	13	06
7	टीला मोड	19	21
कुल योग		192	145

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांक 30.05.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त आजाद पुत्र गुलफाम निवासी खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड़, उम्र करीब 26 वर्ष को डासना जेल के पीछे थाना मसूरी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 24 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे अंग्रेजी शराब के पव्वे खरीद कर लाया था और मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

आजाद पुत्र गुलफाम निवासी खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र करीब 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

24 पव्वे अंग्रेजी शराब मार्का इम्पेक्ट ग्रेन विस्की फोर सेल इन हरियाणा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी व आबकारी अधिनियम के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा वादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर अपने भाई के द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म कराकर ब्लैकमेल करने के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 08.05.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि गोकुल, द्विया योग माया सरस्वती व राधिका उर्फ शवनम के द्वारा मुझे 36 ए गुरुकुल शान्तिधाम आश्रम में कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादिया के साथ दुष्कर्म कर वादिया को ब्लैकमेल किया गया और किसी को इस बारे में बताने पर जानसे मारने की धमकी दी। जिसके सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर धारा 64(1), 123 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम आज दिनांक 31.05.2025 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर अपने भाई के द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म कराकर ब्लैकमेल करने के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्ता 1. दिव्या योग माया सरस्वती पुत्री स्व0 कालू सिंह निवासी प्राचीन शिव मन्दिर आनन्द बिहार पेट्रोल पम्प के पीछे थाना कौशाम्बी गाजियाबाद स्थायी पता- बी 17/18 रामप्रस्थ कॉलोनी थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 62 वर्ष व 2. राधिका उर्फ शबनम पुत्री स्व0 रफीक अहमद निवासी प्राचीन शिव मन्दिर आनन्द बिहार पेट्रोल पम्प के पीछे थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को बी 17/18 रामप्रस्थ कॉलोनी थाना लिंकरोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्ता दिव्या योग माया सरस्वती व राधिका उर्फ शबनम उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्ताओं ने अपने भाई गोकुल के साथ मिलकर वादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर अपने भाई के द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म कराकर ब्लैकमेल करने की घटना कारित की गई तथा वादिया को घटना की जानकारी किसी को देने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी भी दी गयी। अभियुक्त गोकुल की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पता:-

1. दिव्या योग माया सरस्वती पुत्री स्व0 कालू सिंह निवासी प्राचीन शिव मन्दिर आनन्द बिहार पेट्रोल पम्प के पीछे थाना कौशाम्बी गाजियाबाद स्थायी पता- बी 17/18 रामप्रस्थ कॉलोनी थाना लिंकरोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 62 वर्ष।
2. राधिका उर्फ शबनम पुत्री स्व0 रफीक अहमद निवासी प्राचीन शिव मन्दिर आनन्द बिहार पेट्रोल पम्प के पीछे थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर वादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर अपने भाई के द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म कराकर ब्लैकमेल करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 31.05.2025 को वादी सत्यवीर पुत्र रामजीलाल निवासी मायापुरम इन्द्रगढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा थाना मसूरी पर एक तहरीर दी गई कि अभियुक्तों - 1-ओम पुत्र तुलाराम 2- शिवा पुत्र

तुलाराम 3- मोहिनी पुत्री तुलाराम 4- सावित्री देवी पत्नी तुलाराम 5- राहुल पुत्र राजेश निवासीगण इन्द्रगढ़ी थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा वादी के पुत्र अभिषेक व पत्नी हेमलता के साथ लाठी डन्डों से लैस होकर एक राय होकर मारपीट करना व अभियुक्त शिवा द्वारा वादी के पुत्र अभिषेक को जान से मारने की नीयत से चाकू से बार कर गम्भीर रूप से घायल कर देना तथा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल धारा 191(2),191(3), 115(2),109(1),352,351(3) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट एवं सीसीटीवी फुटैज के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1.शिवा पुत्र तुलाराम निवासी धर्म कांटे के पास मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. राहुल पुत्र राजेश निवासी धर्म काटे के पास मिसलगढी थाना मसूरी गाजियबाद उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग पड़ोस में रहते हैं तथा किसी बात को लेकर वादी पक्ष से हमारा विवाद हो गया था तथा विवाद अधिक बढ जाने के कारण हम लोगों ने अभिषेक व उसकी माता जी के साथ लाठी व डण्डों से मारपीट की थी तथा अभिषेक को जान से मारने की नीयत से चाकू से प्रहार किये थे। अभियुक्त शिवा ने बताया कि चाकू को मैंने फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.शिवा पुत्र तुलाराम निवासी धर्म कांटे के पास मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

2.राहुल पुत्र राजेश निवासी धर्म कांटे के पास मिसलगढी थाना मसूरी गाजियबाद उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 31.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आकाश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गली नम्बर-06 विवेक विहार ज्वाला कॉलोनी दिल्ली व मूल पता ग्राम सैहल थाना गजरौला जनपद अमरोहा उम्र करीब 22 वर्ष को 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों में अपना रौब जमाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गली नम्बर-06 विवेक विहार ज्वाला कॉलोनी दिल्ली व मूल पता ग्राम सैहल थाना गजरौला जनपद अमरोहा उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 23.05.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी यूसुफ पुत्र अलीजान निवासी गरिमा गार्डन टीलामोड़ द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि मैं अपनी मोटरसाइकिल को अपने घर के बाहर खड़ा करके अन्दर गया और कुछ समय बाद जब घर से बाहर आया तो मेरी मोटरसाइकिल वहाँ पर नही थी। अतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 31.05.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त कामिल पुत्र वहीद निवासी म0न0 एन 83 सुन्दर नगरी थाना नंदनगरी पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र करीब 26 बर्ष को डी – मार्ट के पास से चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कामिल पुत्र वहीद उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त कामिल पुत्र वहीद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह मोटरसाइकिल अभियुक्त उपरोक्त ने गरिमा गार्डन से लगभग 15 दिन पहले चोरी की थी तथा इसी मोटरसाइकिल से आक्सी होम सोसाइटी के सामने से अपने साथी सचिन पुत्र वेदराम निवासी गली न0 04 जीडीए फ्लेट अम्बेडकर कॉलोनी थाना टीलामोड़ के साथ ऑटो में बैठे व्यक्ति से 01 मोबाइल फोन छीना था। छीने हुए मोबाइल फोन को मैने रास्ते में एक राहगीर को 1,500/- रु0 में बेंच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कामिल पुत्र वहीद निवासी म0न0 एन 83 सुन्दर नगरी थाना नंदनगरी पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र करीब 26 बर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त कामिल पुत्र वहीद उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर स्नेचिंग का 01 अभियोग व थाना कौशाम्बी पर स्नेचिंग का माल बरामद होने व गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।